



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-29062026-273916
CG-WB-E-29062026-273916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3341]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 3341]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 25 जून, 2026

का.आ. 3476(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य के नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
(1)	(2)	(3)
1)	हिजली से नीमपुरा थ्रू यार्ड तीसरी लाइन (5.58 किमी)।	पश्चिम बंगाल (5.58 किमी.)

[फा.सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/ डीसीई/सी-II/केजीपी/एचआईजे-एनएमपी तीसरी लाइन/ एसआरपी/1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[South Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 25th June, 2026

S.O. 3476(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. no.	Name of Project	State/Union Territory
(1)	(2)	(3)
1)	Hijli to Nimpura Through yard 3 rd line (5.58 Km.).	West Bengal (5.58 Km.)

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C-II/KGP/HIJ-NMP 3rd Line/SRP /1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin.Officer (Con)